

28.11.18

अभिभाषकगण उपस्थित । पीठासीन अधिकारी  
अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त है । पत्रावली  
दिनांक 19.12.18 को पेश हो ।

212

19.12.18

संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल  
कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं ।  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है ।  
पत्रावली दिनांक 26.12.18 को पेश हो

212

26.12.18

पत्रावली पेश हुई  
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.  
अनुपस्थित  
अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप.  
अनुपस्थित  
पत्रावली वास्ते...  
आगामी पेशी दिनांक...  
को पेश हो

28.12.18

पत्रावली पेश हुई  
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप.  
अनुपस्थित  
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप  
अनुपस्थित  
पत्रावली वास्ते  
आगामी पेशी दिनांक  
को पेश हो

9.1.19


राज्य सरकार व अजर्नी 2 (किस) उपा. व एस  
कॉन्टिब (जुनी) गड। पत्रावली वास्ते निम्न दिनांक  
16.1.19 को पेश हो।

16.1.19

पत्रावली वास्ते निम्न पेश हुई। उक्त पत्र  
उपा. ए. ए. सी, डिप्टी & उल्लेख है।

आ.प.म. १११ २ वर्षों के इन्टिग्रल बन्धन के अन्तर्गत  
ई उक्त रिपोर्ट के आधार पर आ.प.म. १११ RTA  
स्वीकार किया जाता है। विस्तृत किर्ति शाहित  
प्राप्त है। किर्ति भी एक उक्ति T.P.R. H.M. के  
पालनार्थ किर्ति (प्राप्त) प्राप्त है। किर्ति के अन्तर्गत  
द्वितीय इन्टिग्रल भी जारी

आदेश सुनाया गया।

  
सिविल जज कोर्ट  
एवं उच्च न्यायाधीश  
हनुमानगढ़

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़  
बईजलास :- राकेश कुमार (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 329/2015

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

बनाम

भोलूसिंह पुत्र गुरजण्टसिंह, गुरजण्टसिंह पुत्र बूटासिंह जटसिख साकिन 3 केएनजे।

—अप्रार्थी/खातेदार काश्तकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

उपस्थित :-

1. पैरोकार राज स्वयं उपस्थित

प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 22/11/16

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी राजस्थान राज्य की कृषि भूमि का भू-धारक है तथा भू-धारक की हैसियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। चक 2 केएनजे तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 116/268 में कि.न. 1 ता 10 कुल 2.354 है० भूमि है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा अप्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी के पास कृषि कार्य हेतु है तथा अप्रार्थी या पूर्व खातेदार काश्तकार ने इस भूमि को राज्य सरकार के नियमों या विनियमों के तहत किसी कदर अकृषि कार्य में संपरिवर्तन नहीं करवाया हुआ है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पर ईंट भट्टा बना रखा है जिसकी जानकारी प्रार्थी को हल्का पटवारी की रिपोर्ट से हुई है। अप्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि कृषि कार्य हेतु दी गई है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की किसी स्वीकृति के बिना तथा राज्य सरकार के नियमों व विनियमों में भू-रूपांतरण करवाये बिना अकृषि कार्य (ईंट भट्टा) हेतु प्रयोग में लिया गया है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक शर्तों का उल्लंघन किया है, जिससे राज्य को क्षति कारित हुई है। प्रार्थी प्रश्नगत कृषि भूमि से अप्रार्थी को बेदखल करवा प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करवा कब्जा पाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी माननीय अदालत के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र राजस्थान राज्य की ओर से प्रस्तुत है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (4) के परन्तुक के अनुसरण में बिना न्याय शुल्क के प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर प्रश्नगत कृषि भूमि प.न. 116/268 में कि.न. 1 ता 10 कुल 2.354 है० कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी को बेदखल कर प्रश्नगत कृषि भूमि को आराजीराज घोषित करने व कब्जा प्रार्थी को दिलवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थी बाद तामील उपस्थित न आने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार राज ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पैरोकार राज की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। वादग्रस्त भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है परन्तु अप्रार्थी ने उसको दिये गये अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा कृषि भूमि की प्रकृति को बदल कर मौके पर ईंट भट्टा स्थापित कर कृषि से भिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया है तथा इसके लिए कोई संपरिवर्तन आदि नहीं करवाया है और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की है।

उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि चक 2 केएनजे तहसील हनुमानगढ़ (राजस्थान) के प.न. 116/268 में कि.न. 1 ता 10 कुल 2.354 है० कृषि भूमि मय गै.मु. भूमि से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाते हैं और तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वादग्रस्त कृषि भूमि में से अप्रार्थी को बेदखल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के स्थान पर आराजीराज दर्ज किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2016 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

u  
सहायक कृषि अधिकारी  
उपखण्ड  
अधिकारी हनुमानगढ़

